मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6.01.2012

विषय : मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008 के अंतर्गत गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 18.10.2011 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन एक्ट, 2008 के अंतर्गत मेगा प्रोजेक्ट्स को सहायता/सुविधाओं के प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति को मंत्रिपरिषद की आर्थिक मामलों की समिति के समकक्ष अधिकार दिये गये हैं।

शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 18.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित की हैसियत से भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है। शीर्ष समिति द्वारा एजेण्डा आइटमवार लिये गये निर्णयों/दिये गये निर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है –

1. <u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 1</u> – **प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव** – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शीर्ष समिति की बैठक दिनांक 07.09.2011 में समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार था–

<u>प्रस्ताव एवं वित्त व्यवस्था (वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य)</u>

<u>(भूमि हेक्टेयर में)</u> <u>(राशि ₹ करोड़ में)</u>

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	भूमि	औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटन योग्य भूमि	आवश्यक कुल राशि	राज्य शासन का अंश	केन्द्र योजना से प्राप्त राशि	एकेव्हीएन का अंश	हुडको/ वित्तीय संस्थाओं से प्रस्तावित ऋण
21	2212	1332	865	63	27	172	603

बैठक में समिति द्वारा दिये गये निर्देश/सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता प्रस्ताव निम्नानुसार है –

<u>**प्रस्ताव एवं वित्त व्यवस्था प्रथम चरण (वर्ष 2011–12 से 2012–13 के मध्य)**</u>

<u>(भूमि हेक्टेयर में)</u> <u>(राशि ₹ करोड़ में)</u>

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	भूमि	औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटन योग्य भूमि	आवश्यक कुल राशि	एकेव्हीएन का अंश	हुडको/ वित्तीय संस्थाओं से प्रस्तावित ऋण
9	761	480	255	127	128

प्रस्तावित वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण का पुनर्भुगतान 9 वर्षों में 36 त्रैमासिक किस्तों में किया जायेगा जिसमें 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष (फ्लोटिंग) ब्याज दर रहेगा । कुल ₹ 128 करोड़ ऋण के विरूद्ध 9 वर्षों में ₹ 200.93 करोड़ अदा

किया जायेगा । इस प्रकार औसत **वार्षिक Annuity** लगभग ₹ 23 करोड़ रहेगी।

प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वयन संबंधित **ए.के.व्ही.**एन. द्वारा किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इत्यादि से उनकी विशेषज्ञता अनुसार कार्य करावे जावेंगे। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि परियोजना हेतु प्रस्तावित ऋण तथा एन्यूटी की राशि यथा संभव को कम करने पर विभाग विचार करे तथा आय–व्यय हेतु कैश फ्लो स्टेटमेंट (Cash Flow Statement) बनाए।

शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने तथा राजस्व तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि निवेशकों को उच्च गुणवत्ता की मूल अधोसंरचना उपलब्ध कराई जावे, जिसके लिये शासन द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु प्रस्तुत परियोजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा यह प्रयास किया जावे कि अन्य नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के चयन/विकास हेतु निरंतर कार्यवाही जारी रहे, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जावे।

शीर्षस्थ समिति द्वारा प्रस्तावित योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करते हुए नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु हुडको/वित्तीय संस्थाओं से, ₹ 128 करोड़ का ऋण प्राप्त करने, इस हेतु राज्य शासन की ओर से गारंटी देने एवं ऋण तथा ब्याज राशि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा Annuity का भुगतान करने का अनुमोदन किया गया । प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत आय–व्यय की स्थिति का अनुमान दर्शाते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट (Cash Flow Statement) बनाया जाएगा।

(कार्यवाही – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग)

<u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 2</u> – मध्यप्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना उन्नयन कार्य – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में अवस्थित विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में **विकसित की गई अधोसंरचना क्षतिग्रस्त हो चुकी है, अतः स्थापित इकाईयों को बेहतर अधोसंरचना** उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीर्ष समिति की बैठक दिनांक 07.09.2011 में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार था,

प्रस्ताव एवं वित्त व्यवस्था (वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य)

(भूमि हेक्टेयर में) (राशि ₹ करोड़ में)

	औद्योगिक क्षेत्र जिनका उन्नयन किया जाना है	आवश्यक कल राशि	एकेव्हीएन का अंश	राज्य शासन का अंश	केन्द्र शासन की एसाइड योजना से प्राप्त राशि	हुडको/ वित्तीय संस्थाओं से प्रस्तावित ऋण
एकेव्हीएन	7	471.88	101.87	27.00	63.22	279.79
जिव्याउके	5					

कार्ययोजना का प्रथम चरण निम्नानुसार है –

प्रस्ताव एवं वित्त व्यवस्था (वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य)

(भूमि हेक्टेयर में) (राशि ₹ करोड़ में)

	औद्योगिक क्षेत्र जिनका उन्नयन किया जाना है	आवश्यक कुल राशि	एकेव्हीएन का अंश	राज्य शासन का अंश	केन्द्र शासन की एसाइड योजना से प्राप्त राशि	हुडको/ वित्तीय संस्थाओं से प्रस्तावित ऋण
एकेव्हीएन	3	311	77	9	35	190
जिव्याउके	1					

प्रस्तावित वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण का पुनर्भुगतान 9 वर्षों में 36 त्रैमासिक किस्तों में किया जायेगा जिसमें 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष (फ्लोटिंग) ब्याज दर रहेगा । कुल ₹ 190 करोड़ ऋण के विरूद्ध 9 वर्षों में ₹ 319.22 करोड़ अदा किया जायेगा । इस प्रकार औसत वार्षिक Annuity लगभग ₹ 35 करोड़ रहेगी।

प्रस्तावित उन्नयनीकरण परियोजना का क्रियान्वयन संबंधित ए.के.व्ही.एन. द्वारा किया जावेगा तथा मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इत्यादि से उनकी विशेषज्ञता अनुसार कार्य करावे जावेंगे।

शीर्षस्थ समिति द्वारा प्रस्तावित योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करते हुए नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु हुडको/वित्तीय संस्थाओं से ₹ 190 करोड़ का ऋण प्राप्त करने, इस हेतु राज्य शासन की ओर से गारंटी देने एवं ऋण तथा ब्याज राशि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा Annuity का भुगतान करने का अनुमोदन किया गया । प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत आय–व्यय की स्थिति का अनुमान दर्शाते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट (Cash Flow Statement) बनाया जाएगा।

3. <u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 3</u> – **हर्बल एवं लघु वनोपज पर आधारित उद्यमों (जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक पूंजी वेष्ठन के आधार पर मेगा प्रॉजेक्ट मान्य करना है) की सूची का निर्धारण** – शीर्ष समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की कंडिका 15.5 के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग द्वारा प्रस्तुत ₹ 10 करोड़ अथवा इससे अधिक पूंजी निवेश की हर्बल एवं लघु वनोपज पर आधारित उद्योगों की सूची का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग)

4. <u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 4</u> – **मेगा प्रॉजेक्ट्स को रियायती दरों पर शासकीय भूमि आवंटन हेतु नीति प्रस्ताव** – शीर्ष समिति द्वारा बैठक दिनांक 25.07.2011 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा ₹ 500 करोड़ से अधिक लागत वाली औद्योगिक परियोजनाओं को रियायती दर पर शासकीय भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग)

5. <u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु</u> – **किसी एक औद्योगिक समूह द्वारा प्रदेश में ₹ 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने पर सुविधाओं का विशेष पैकेज प्रदान करने हेतु योजना का निर्धारण** – शीर्ष समिति द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तुत किसी एक औद्योगिक समूह द्वारा प्रदेश में ₹ 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने पर सुविधाओं का विशेष पैकेज विचारोपरांत निम्नानुसार प्रदान करने का निर्णय लिया गया –

क्र.	सुविधा का प्रकार	₹ 20 हजार करोड़ से ₹ 50 हजार करोड़ तक का मेगा इन्वेस्टमेंट	₹ 50 हजार करोड़ से अधिक का मेगा इन्वेस्टमेंट
1	उद्योग निवेश संवर्धन सहायता	उद्योग संवर्धन नीति 2010 की कंडिका 16.3 में वर्णित जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित अवधि से दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निवेश परियोजना में किये गये स्थायी पूंजी निवेश की सीमा तक उद्योग निवेश संवर्धन सहायता दी जाएगी।	उद्योग संवर्धन नीति 2010 की कंडिका 16.3 में वर्णित जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित अवधि से तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निवेश परियोजना में किये गये स्थायी पूंजी निवेश की सीमा तक उद्योग निवेश संवर्धन सहायता दी जाएगी।
2	प्रवेश कर से छूट	उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की कंडिका 17.1 में वर्णित अवधि के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए प्रवेश कर से मुक्ति की सुविधा दी	उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की कंडिका 17.1 में वर्णित अवधि के अतिरिक्त तीन वर्ष के लिए प्रवेश कर से मुक्ति

		जाएगी।	की सुविधा दी जाएगी।
3	रियायती दर पर दी जाने वाली शासकीय भूमि का परिमाण	उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की कंडिका क्र. 15.4 में वर्णित शासकीय भूमि के परिमाण के अतिरिक्त उपलब्धता होने पर प्रत्येक निवेश परियेाजना को 50 एकड़ तक भूमि निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर आवंटित की जाएगी।	उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की कंडिका क्र. 15.4 में वर्णित शासकीय भूमि के परिमाण के अतिरिक्त उपलब्धता होने पर प्रत्येक निवेश परियेाजना को 60 एकड़ तक भूमि निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर आवंटित की जाएगी।
4	माइनिंग लीज के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित की जाने वाली लीज डीड हेतु देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट	प्रत्येक निवेश परियेाजना के लिए खनिज संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनि पट्टे से संबंधित लीज डीड के निष्पादन पर देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित प्रचलित दर पर प्रभार्य की जावेगी एवं समूह द्वारा प्रस्तावित ₹ 20,000 करोड़/ ₹ 50,000 करोड़ का संपूर्ण निवेश सुनिश्चित होने के पश्चात् पूर्व में प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी पर प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत वापस किया जावेगा, जिसके लिए वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट में प्रावधान किया जावेगा।	

शीर्ष समिति द्वारा उपरोक्त पैकेज अंतर्गत घोषित सुविधाओं का लाभ उद्योग समूह द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के प्रभावशील होने के दिनांक 01.11.2010 से 31.10.2020 के मध्य (10 वर्ष) वास्तविक पूंजी निवेश पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

शीर्ष समिति द्वारा उपरोक्त अनुमोदित प्रस्ताव को उद्योग संवर्धन नीति, 2010 में समावेश करने के लिए संशोधन हेतु मंत्रि–परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही – वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग)

6. **<u>एजेण्डा बिन्दु क्र. 5</u> – शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 09.08.2011, 17.08.2011 एवं 07.09.2011 के निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन** – समयाभाव के कारण उक्त एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा नहीं हो सकी।

सभी उपस्थित को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त हुई।

6.1.2012

(पी.के. दाश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं
सदस्य सचिव,
शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति

परिशिष्ट–1

दिनांक 18.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित अधिकारियों की सूची :–

माननीय सदस्य –

1. श्री राघवजी भाई, म.प्र. शासन, वित्त विभाग / वाणिज्यिक कर विभाग – सदस्य
2. श्री कैलाश विजयवर्गीय, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग – सदस्य
3. श्री अवनि वैश्य, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन – सदस्य
4. श्री पी.के. दाश, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग – सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित अधिकारीगण –

1. श्री अजय नाथ, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
2. श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
3. श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग
4. श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
5. श्री आर.के. चतुर्वेदी, प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
6. श्री विनोद सेमवाल, उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
7. श्री पी.के दास, प्रबंध संचालक, ट्राइफेक
8. श्री मोहम्मद सुलेमान, सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
9. श्री एस.के. मिश्रा, सचिव, मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन
10. श्री व्ही.एन. पाण्डे, सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग
11. श्री एस.एन. मिश्रा, सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग